न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 94 / 2021

अनवान : –

1. रामसिंह पुत्र लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. लालचंद पुत्र हीराराम जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. जागर पुत्र लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. राजपाल पुत्र लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. किताबो पुत्री लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. बिन्टू पुत्र शकुन्तला पुत्री लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र शर्मा वादी
श्री राममूर्ति ताखर प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 09.09.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा निनाण के खाता सं0 224 / 218 के मु0 न0 17 के किला न0 16 ता 18, मु0 न0 18 के किला न0 20, मु0 न0 24 के किला न0 6 ता 15 कुल 2.9070है0 जिसमें से नहरी 0.9740है0, बारानी 1.8950, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0, गै0 मु0 खाला 0.0250है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लालचंद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योकरण की खातेदारी हुआ करती थी। प्रवितादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादी तथा प्रवितादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखासमत है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी राहमंदी से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। व प्रतिवादी सं0 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामसिंह पुत्र लालचंद के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा निनाण के खाता सं0 224/218 के मु0 न0 17 के किला न0 16 ता 18, मु0 न0 18 के किला न0 20, मु0 न0 24 के किला न0 6 ता 15 कुल 2.9070है0 जिसमें से नहरी 0.9740है0, बारानी 1.8950, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0, गै0 मु0 खाला 0.0250है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लालचंद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी रामसिंह व प्रतिवादी सं0 1 लालचंद, प्रतिवादी सं0 2 जागर, प्रतिवादी सं0 3 राजपाल प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा निनाण के खाता सं0 224/218 के मु0 न0 17 के किला न0 16 ता 18, मु0 न0 18 के किला न0 20, मु0 न0 24 के किला न0 6 ता 15 कुल 2.9070है0 जिसमें से नहरी 0.9740है0, बारानी 1.8950, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0, गै0 मु0 खाला 0.0250है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लालचंद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से तन्हा प्रतिवादी सं0 1 लालचंद अकेले के बजाय वादी रामसिंह व प्रतिवादी सं0 1 लालचंद, प्रतिवादी सं0 2 जागर, प्रतिवादी सं0 3 राजपाल प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-09-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 94/2021

अनवान : –

1. रामसिंह पुत्र लालचंद जाति चमार निवारी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. लालचंद पुत्र हीराराम जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. जागर पुत्र लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. राजपाल पुत्र लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. किताबो पुत्री लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. बिन्टू पुत्र शकुन्तला पुत्री लालचंद जाति चमार निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा निनाण के खाता सं0 224/218 के मु0 न0 17 के किला न0 16 ता 18, मु0 न0 18 के किला न0 20, मु0 न0 24 के किला न0 6 ता 15 कुल 2.9070है0 जिसमें से नहरी 0.9740है0, बारानी 1.8950, गै0 मु0 रास्ता 0.0130है0, गै0 मु0 खाला 0.0250है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 लालचंद के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में से तन्हा प्रतिवादी सं0 1 लालचंद अकेले के बजाय वादी रामसिंह व प्रतिवादी सं0 1 लालचंद, प्रतिवादी सं0 2 जागर, प्रतिवादी सं0 3 राजपाल प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व मे अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-03-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)